

बंधुआ श्रमिक

प्रस्तावना:

9.1 भारत में बंधुआ गुलामी की पद्धति समाज में लंबे समय से शोषित, असहाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा लिया गया ऋण न चुका पाने के फलस्वरूप पनपी। यह प्रथा सामंतों और सामंतवादी परिस्थितियों द्वारा निर्धारित असमान सामाजिक ढांचे की देन है।

9.2 'बंधुआ श्रम' संबंधी मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण तब हुआ, जब इसे 1975 में पुराने 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया। इसे कार्यान्वित करने के लिए बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया जिसे बाद में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम के लागू होने पर बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त हो जाएगी तथा प्रत्येक बंधुआ श्रमिक मुक्त तथा बंधित श्रम करने की किसी बाध्यता से मुक्त हो जाएगा।
- किसी प्रथा, करार अथवा अन्य दस्तावेज जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम के रूप में किसी को सेवा देना अनिवार्य होगा, अमान्य होगा।
- बंधित ऋण को चुकाने की देयताओं को समाप्त कर दिया गया माना जाएगा।
- बंधुआ श्रमिकों की जयदाद को गिरवी आदि से मुक्त होगी।
- मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को उनकी वास भूमि से अथवा रिहायशी परिसरों से बेदखल नहीं किया जाएगा जिस पर वह बंधुआ श्रमिक के रूप में रह रहा था।
- जिलाधीशों को इस अधिनियम के प्रावधान क्रियान्वित करने के लिए कतिपय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का दायित्व सौंपा गया है।
- जिला तथा-उप जिला स्तरों पर सतर्कता समितियाँ बनाने की जरूरत होगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में एक निर्धारित अवधि जो 3 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है तक का कारावास तथा जुर्माना जो कि 2000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई हेतु न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ कार्यकारी दंडाधिकारी को सौंपी जाएंगी।
- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानती होगा।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन का मॉनीटरन कर रहा है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित प्लान स्कीम

9.3 छुड़ाये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मई, 1978 में केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक छुड़ाये गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर के लिए 20,000/- रु. की दर से पुनर्वास सहायता का प्रावधान है जिसको 50:50 आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में यदि वे अपना भाग उपलब्ध कराने में असमर्थता प्रकट करते हैं तो 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। स्कीम में निम्नलिखित गतिविधियों के लिए भी वित्त पोषण करने का प्रावधान है:

9.4 बंधुआ मजदूर की पहचान करने के लिए 3 वर्ष में एक बार सर्वेक्षण करने हेतु संबंधित राज्य के प्रत्येक संवदेनशील जिले के लिए 2.00 लाख रुपये का प्रावधान किया जा सकता है।

9.5 बंधुआ मजदूर पद्धति से संबंधित जागरूकता पैदा करने की गतिविधियों के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 10.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता की मंजूरी की जा सकती है।

9.6 बंधुआ मजदूरों को प्रभावित करने वाले वर्तमान भूमि ऋण से संबंधित मामलों के प्रभावों एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब तक वित्तीय सहायता का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को 5.00 लाख रु. प्रतिवर्ष की मंजूरी दी जा सकती है।

9.7 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीम के साथ अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं जैसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एम.जे.जी.एस.आर.वाई.) अनुसूचित जाति, जन जाति योजना आदि के लिए विशेष संघटक योजना आदि। तदनुसार छड़ाये गए बंधुआ मजदूरों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित बड़े घटक भी शामिल है:

- मकान-स्थान तथा कृषि भूमि का आवंटन ;
- भूमि विकास ;
- कम लागत के आवास का प्रावधान ;
- पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, सुअर पालन इत्यादि;
- नई कुशलता प्राप्त करने तथा वर्तमान कुशलता का विकास करने हेतु प्रशिक्षण ;
- मजदूरी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि का प्रवर्तन ;
- लघु जंगल उत्पादों को एकत्र करना तथा प्रोसेस करना ;
- लक्षित जन वितरण पद्धति के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति;
- बच्चों को शिक्षित करना; तथा
- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा।

9.8 जैसा कि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है 31.3.2004 तक पहचान किए गए/छुड़ाये गए तथा पुनर्वास किए गए बंधुआ मजदूरों तथा उपरोक्त उल्लिखित केन्द्रीयकृत रूप से प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

राज्य का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या		
	पहचान की गई तथा छुड़ाये गये	पुनर्वास किया गया	केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई (रुपये लाखों में)
आंध्र प्रदेश	37,988	31,534	850.00
बिहार	13,370	12,552	361.18
कर्नाटक	63,373	57,121	1571.78
मध्यप्रदेश	12,822	11,897	146.35
उड़ीसा	50,010	46,882	901.44
राजस्थान	7,478	6,321	72.42
महाराष्ट्र	1,398	1,319	9.55
उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल शामिल)	28,195	28,195	573.02
केरल	823	710	15.56
हरियाणा	551	49	0.93
गुजरात	64	64	1.01
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2,992	568.48
तमिलनाडु	65,573	65,573	1661.94
पंजाब	69	69	6.90
छत्तीसगढ़	124	124	12.40
उत्तरांचल	5	5	0.50
कुल	2,83,379	2,61,417	6753.46

9.9 इसके अतिरिक्त, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और महाराष्ट्र राज्य सरकारों को बंधुआ श्रमिकों के सर्वेक्षण, मूल्यांकन अध्ययन और जागरूकता सृजन के लिए अभी तक 356.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।
